कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22428/बाल विवाह–आखातीज(15)/2013–25/दिनांक : As in E-Sign

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :– बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किये जाने के क्रम में दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– बाल अधिकारी विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक– 22.05.2026 (राजकाज संदर्भ संख्या– 22344114) एवं शिक्षा ग्रुप–5 के पत्र दिनांक– 27.07.2026 (राजकाज संदर्भ संख्या– 23639836) के क्रम में)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय तथा मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशानुसार राज्य में ग्राम पंचायत/नगरीय वार्ड स्तर पर समस्त ग्राम विकास अधिकारी, समस्त पटवारी एवं समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाकर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध के जांच की शक्तियां प्रदान किये जाने की अधिसूचना 24.04.2026 को जारी की गई है।

अतः उक्त के क्रम में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर इस कार्यालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : यथोक्त।

(ललित कुमार)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर। (जरिये ई–मेल)
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर। (जरिये ई–मेल)
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में। (जरिये ई–मेल)
5. निजी सहायक, समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान। (जरिये ई–मेल)
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत। (जरिये ई–मेल)
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को पालनार्थ। (जरिये ई–मेल)
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ। (जरिये ई–मेल)

RajKaj Ref No.: 23849487

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-10-13
13:08:59 IST

v-1.0

9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत। (जरिये ई–मेल)
10. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई–मेल)
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

RajKaj Ref No.:
23849487

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-10-13
13:08:59 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः–प.24(01)शिक्षा–5 / NCPCR / 2026 दिनांकःयथाहस्ताक्षर

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– बाल विवाह प्रतिशेध अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– बाल आधिकारिता विभाग जयपुर के पत्र के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय कांफ्रेस के कार्यवृत में दिए गए निर्देशानुसार राज्य में ग्राम पंचायत / नगरीय वार्ड स्तर पर समस्त ग्राम विकास अधिकारी, समस्त पटवारी एवं समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापकों को राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाकर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के जांच की शक्तियां प्रदान किये जाने की अधिसूचना 24.04.2026 को जारी की गई।

अतः इस क्रम में उचित आवश्यक कार्यवाही करते हुए, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करावे।

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(आलोक जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Alok Jain
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :27-07-2026 06:01:40

RajKaj Ref No.: 23639836

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः–प.24(01)शिक्षा–5 / NCPCR / 2026 दिनांकःयथाहस्ताक्षर

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– बाल विवाह प्रतिशेध अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– बाल आधिकारिता विभाग जयपुर के पत्र के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय कांफ्रेस के कार्यवृत में दिए गए निर्देशानुसार राज्य में ग्राम पंचायत / नगरीय वार्ड स्तर पर समस्त ग्राम विकास अधिकारी, समस्त पटवारी एवं समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापकों को राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाकर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के जांच की शक्तियां प्रदान किये जाने की अधिसूचना 24.04.2026 को जारी की गई।

अतः इस क्रम में उचित आवश्यक कार्यवाही करते हुए, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करावे।

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(आलोक जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Alok Jain
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :27-07-2026 06:01:40

RajKaj Ref No.: 23639836

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
20/198 सेक्टर–2, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं.–0141.2399335, 2399336
ई–मेल– dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांक- F19(3)(5)/DWE/CMP/SOP/2017-18-00157 **जयपुर, दिनांक– यथा ई हस्ताक्षरित**

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
स्कूल शिक्षा/राजस्व/पंचायती राज विभाग।

विषयः– बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किये जाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2024 में दिए गए निर्णय तथा मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के कार्यवृत्त में दिये निर्देशानुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों में बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की संख्या में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया।

प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में राज्य में ग्राम पंचायत/नगरीय वार्ड स्तर पर समस्त ग्राम विकास अधिकारी, समस्त पटवारी एवं समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध की जांच की शक्तियां प्रदान किये जाने की अधिसूचना दिनांक 24.4.2026 जारी की गई है।

अतः उक्तानुसार जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि नियुक्त किये गये समस्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों के निर्वहन हेतु सूचित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– अधिसूचना की प्रति।

(निकया गोहाएन)
आयुक्त

क्रमांक- F19(3)(5)/DWE/CMP/SOP/2017-18-00157 **जयपुर, दिनांक– यथा ई हस्ताक्षरित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय,राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री महोदया, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदया, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग,राजस्थान।

Signature valid
Digitally signed by Ngilya Gohain
Designation : Commissioner
Date: 2026.05.22 1[illegible]:29:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22344114
M e-Sign

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
20/198 सेक्टर–2, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं.–0141.2399335, 2399336
ई–मेल– dcr.raj@rajasthan.gov.in

9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान।
10. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, समस्त।
11. निजी सचिव, आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
12. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर
13. जिला मजिस्ट्रेट, समस्त।
14. अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, समस्त।
15. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, समस्त।
16. सहायक प्रोग्रामर मुख्यावास को उक्त अधिसूचना बेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Ngilya Gohain
Designation : Commissioner
Date: 2026.05.22 1[illegible]:29:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22344114
M e-Sign

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
साधारण

RAJASTHAN GAZETTE
Ordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

जिल्द 78 वैशाख 24, गुरुवार, शाके 1948– मई 14, 2026 अंक 7
Vol. 78 Vaisakha 24 , Thursday, Saka 1948–May 14, 2026 No. 7

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

Department for Child Rights

NOTIFICATION

Jaipur, April 24, 2026

F-19(3)()/DWE/CMPO/2018-19-00159-CMPO-Gazette/637: In continuation of notification number F.6 (29) Home-13/2007 dated 24.10.2007 issued by the Home Department and notification number F.19(3)/(5)WCD/2013 dated 04.09.2013 and F.19 (3)/(5)/DWE/C.M.P /CMPO/ 2018-19/6774 dated 15.02.2021 issued by the Women and Child Development Department and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (4) of section 16 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Central Act No. 6 of 2007), the State Government hereby appoints the officer mention in column 2 of table given below for their respective jurisdiction mention in column 3 against each of them.-

Table

S.No.	Name of Official	Jurisdiction
1	*2*	*3*
1.	All Principals of Government Senior Secondary Schools and Headmasters of Government Secondary/ Upper Primary Schools under the Department of Education, Government of Rajasthan.	(1) In case of rural areas, Gram-Panchayat in which the school is situated. (2) In case of urban areas, ward of Municipality in which school is situated.
2.	All Village Development Officers of the Panchayati Raj Department, Government of Rajasthan.	Gram Panchayat
3.	All Patwaris of the Revenue Department, Government of Rajasthan.	Patwar Circle

as Child Marriage Prohibition Officers for their respective jurisdiction and invest in them the powers to investigate the cognizable offence as is exercisable by a Police Officer under Chapter V, VII, XII and XIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023).

By order of the Governor,
Sangeeta Meena,
Additional Director cum Deputy
Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एवं फेसबुक चैनल से जुड़े।

Telegram

Follow our WhatsApp Channel
Click Here

Follow us on facebook

जुड़ने के लिए ऊपर दिए गए आइकॉन पर क्लिक करें।